Faridabad Plot Built Properties in all Sectors

SYNDICATE
ESTATE AGENCY
Ind. Plot no. 11,
Sector-15A, Faridabad.
Ph. : (o) 2284588
(R) : 2224288

Spl. In - Residential, Commercial & Industrial

मेहनतकशों का पैग़ाम
Email : mazdoormorcha@yahoo.co.in
मेहनतकशों के नाम

मज़दूर मोर्चा

पाक्षिक

नेट पर उपलब्ध : www.mazdoormorcha.com

Postal Reg. No. L/H.R/FBD/463-06/R.N.I. No. 66400/97

ANCHOR ROADLINES
(Regd) SCO - 29, Shoping Centre, Sec. - 11D, FBD.
Daily Parcel Service
For : Noida, Surajpur, Kasna, Ghaziabad, Haridawar, Gurgaon, Manesar, Dharuhera, Bhiwadi, Vice Varsa
24, Hours Service
Phones : 2285044, 2291388

वर्ष 26 अंक 5 फरीदाबाद, बुधवार, 16-31 जनवरी 2013 फोन : - 9999595632 सहयोग राशि 2 रुपया

जनाक्रोश से भी सबक नहीं सीखती पुलिस

रेप केस खारिज करने का तय हुआ सौदा

जनता त्रस्त सीपी मस्त

फ़रीदाबाद (म.मो.) दिनांक 7 अक्टूबर 2012 को थाना एन आई टी में भरतीय दंड संहिता की धारा 376 व 506 के तहत मुकदमा नं. 237 दर्ज किया गया था। झाड़खंड के ज़िला गुमला की 20 वर्षीय पीड़िता ने थाने आकर बयान दर्ज कराया कि वह गत 25 दिन से सेक्टर 21 ए के मकान नं. 328 में, 4000 रुपये मासिक वेतन पर घरेलू नौकरानी का काम करती है। घर के मालिक प्रवीण गुप्ता पुत्र एस.सी. गुप्ता ने, घर में जब कोई नहीं था उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया और किसी को बताने व शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी भी दी।

इसके बावजूद पीड़िता ने इसकी सूचना अपने परिजनों को दे दी जिनकी मदद से वह थाने तक पहुंच पाई।

थाने में उस समय मौजूद तफ़तीशी अधिकारी ए एस आई सुरेश कुमार ने, सरकार द्वारा नियुक्त विशेष महिला वकील सीमा शर्मा की मौजूदगी में पीड़िता का बयान ले कर नियमानुसार मुकदमा दर्ज करके पीड़िता की डाक्टरी जांच रिपोर्ट व अन्य सबूत काबिले गिरफ़्तारी प्राप्त करने के बाद जब दोषी को गिरफ़्तार करने की पूरी तैयारी कर ली तो उसे एस एच ओ अनिल कुमार ने रोक दिया। न केवल रोक दिया बल्कि तफ़तीशी सुरेश पर दबाव डाला कि वह जिमनियां (केस डायरी) बदल कर तमाम सबूतों को नष्ट कर दे तथा केस को खारिज करने की तरफ़ चलाये।

शेष पेज 2 पर

एफ आई आर दर्ज कैसे हुई

जहां बिना रिश्वत के रपट गुमशुदगी तक न लिखी जाती हो वहां एक ग़रीब युवती, वह भी झारखंड की रहने वाली, की एफ आई आर इस भ्रष्ट पुलिस ने दर्ज कैसे कर ली? खबर लिखे जाने के बाद भी यह प्रश्न संपादक मंडल के बीच लगातार बना रहा। तहकीकात करने पर नौकरानी सप्लाई करने वाली दिल्ली की उस एजेंसी ने बताया कि फ़रीदाबाद से गुप्ता नामक एक व्यक्ति ने उससे दुष्कर्म करने के लिये लड़की की मांग की थी। एजेंसी ने साफ़ कह दिया कि वे इस तरह का धंधा नहीं करते हैं, केवल नौकरानी उपलब्ध कराते हैं। इस पर जब गुप्ता ने कहा कि चलो नौकरानी ही उपलब्ध करा दो तो उन्होंने नौकरानी उपलब्ध कराते हुए साफ़ कह दिया था कि इस से ज़ोर जबर नहीं करना। इसके बावजूद गुप्ता ने अपनी पत्नी व बेटी के घर से बाहर जाने के बाद जब उससे जबरन दुष्कर्म कर डाला तो पीड़िता ने सबसे पहले गुप्ता की पत्नी को इस बाबत शिकायत की। पत्नी व बेटी ने गुप्ता को तो खूब बुरा-भला कहा ही, लेकिन साथ ही पीड़िता पर भी ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाया और उसे वापस दिल्ली उसी एजेंसी पर छोड़ आई जहां से उसे लाया गया था। पीड़िता ने श्रीमती गुप्ता को शिकायत करने के साथ-साथ एजेंसी को भी इस बाबत फ़ोन पर सब कुछ बता दिया था। लिहाज़ा एजेंसी ने सारी बात एक एनजीओ को बता दी थी जिसकी मदद से पीड़िता की जीरो एफआईआर दिल्ली के एक थाने में लिखी गयी जिसे क्षेत्राधिकार के चलते थाना एन आई टी फ़रीदाबाद भेज दिया गया। इस तरह से आई एफआईआर को पचा पाना इस पुलिस के बस का नहीं था, लिहाज़ा यह एफआईआर नं. 237 गुप्ता के पूरा ज़ोर लगाने के बावजूद दर्ज हो गयी। लेकिन पुलिस ने उसे आश्वासन दिया था कि वह चिन्ता न करे तफ़तीश में सब ठीक ठाक करके एफआईआर खारिज कर दी जायेगी।

इस सारे मामले को समझने के बाद प्रश्न यह भी उठता है कि शहर के 'अति विद्वान' एवं 'ईमानदार' पुलिस आयुक्त शत्रुजित कपूर क्या भूमिका निभा रहे हैं? यदि वे इस मामले से बेखबर हैं तो उनके इस पद पर बने रहने का क्या औचित्य है? और यदि लेन-देन में उनकी भी हिस्सेदारी है तो फ़िर ईमानदारी का लबादा क्यों ओढ़ रखा है?

पुलिस की अखरज रिपोर्ट

रिश्वत खा कर रस्सी का सांप व सांप की रस्सी बनाने में माहिर पुलिस ने पीड़िता के बयान को झुठलाने के लिये उल्टा पीड़िता पर ही झूठ बोलने व ब्लैकमेल करने के आरोप मढ़ दिये। अपनी बेबुनियाद बात को मजबूरी देने के लिये पुलिस ने गुप्ता के चार घरेलू नौकरों के बयान अपनी मर्ज़ी से गढ़ लिये, जबकि वास्तव में न तो इस तरह के कोई नौकर वहां थे न उन्होंने कोई बयान दिये थे। लेकिन गुप्ता के धन बल और पुलिस के जूत बल से इस तरह के नौकर व उनके बयान पैदा करना कोई कठिन काम नहीं है।

इसके अलावा पुलिस ने पीड़िता द्वारा दुष्कर्म उपरान्त अपनी एजेंसी को की गयी फ़ोन कालों को भी केस खारिज करने का आधार बनाया है। पुलिस के मुताबिक पीड़िता इन कालों के द्वारा गुप्ता को ब्लैक मेल करने हेतु अपनी एजेंसी से आवश्यक निर्देश प्राप्त कर रही थी। बड़ी अजीब बात है। यदि पीड़िता ने एजेंसी को न बताया होता तो पुलिस सवाल करती कि उसने दुष्कर्म के बाद किसी को भी शिकायत क्यों नहीं की और अब कर दी तो इसे षड्यन्त्र का रूप दिया जा रहा है। इसी को कहते हैं कि पुलिस वाले न लिये पड़ते हैं न दिये।

विजिलैंस : घूस लेकर छोड़ता घूसखोर को

फ़रीदाबाद (म.मो.) घूस लेने वालों व भ्रष्टाचार में लिप्त सरकारी मुलाज़िमों को पकड़वाने के लिए अपने टेलिफोन नम्बर एवं मोबाइल प्रचारित करने वाली विजिलैंस खुद ही भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। मामला गांव औरंगाबाद तहसील. होडल जिला पलवल से सम्बन्धित है जहां के एक पंचायत सदस्य (पंच) ने बाकायदा सबूतों के साथ एक शिकायत सरपंच, के विरूद्ध आई.जी विजिलेंस को दिनांक 9,2,12 को भेजी गई थी जिसमें उन्होंने सरपंच पर सम्बन्धित अधिकारियों यानि ग्राम सचिव व बी.डी.पी.ओ आदि की मिली भगत से लगभग 20,000-रुपये के गबन की शिकायत की थी। यह गबन गाव औरंगाबाद की एक जोहड जिसे बड़ी पोखर के नाम से जाना जाता है पर गऊ घाट बनवाने में किया गया था जिस पर थोड़ी बहुत जांच शुरू हुई थी कि अचानक

मामला गांव औरंगाबाद तहसील होडल जिला पलवल से सम्बन्धित है जहां के एक पंचायत सदस्य (पंच) ने बाकायदा सबूतों के साथ एक शिकायत सरपंच, के विरुद्ध आई.जी विजिलेंस को दिनांक 9,2,12 को भेजी गई थी

बन्द सी हो गई। इसी बीच सरपंच ने सबूत मिटाने हेतु गऊ घाट की जगह पर ईंट डलवानी शुरू कर दी, जिस पर शिकायत कर्ता व अन्य लोगों ने उसकी फोटोग्राफी करवानी शुरू कर दी इस पर ईंट ढोने वाले ट्रेक्टर चालक व जे.सी.बी वाला वहां से खिसक लिये इसी बीच शिकायतकर्ता ने फोन करके विजिलैंस वालों को गुड़गांव आई जी. आफिस में फोन करके सारी घटना का ब्यौरा दिया इस पर अगले दिन विजिलैंस टीम ने मौके पर आकर अपने स्तर पर फोटोग्राफी की, तथा जांच को शीघ्र पूरा करने का आश्वासन दिया।

शेष पेज 2 पर

राहुल बाबा और कांग्रेस पार्टी

फ़रीदाबाद (म.मो.) सारे कांग्रेसी इस समय मिलकर राहुल गांधी की ताजपोशी करने में लगे हुए हैं। कठपुतली प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से लेकर हर छुटभैय्या कांग्रेसी यह साबित करने में लगा है कि वह राहुल बाबा का ताबेदार है और उन्हें प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे देखना चाहता है। जब कुछ दिन पहले केन्द्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल किया गया तो सब यह कयास लगा रहे थे कि राहुल गांधी कोई मंत्री पद संभालकर शासन करने का अपना अप्रेन्टिसशिप करेंगे। पर ऐसा नहीं हुआ। लगता है कि वे सीधे ही प्रधानमंत्री की कुर्सी पर सवार होंगे।

मंत्रिमंडल में शामिल न होने के फौरन बाद बड़ी-बड़ी विरुदावलियों के बीच वे कांग्रेस पार्टी में तथाकथित ज्यादा जिम्मेदारी संभालने के लिये नामित किये गये। कहा जा रहा है कि वे अब कांग्रेस पार्टी में नंबर-2 हो गये हैं। राहुल गांधी भारत के सबसे पुराने शासक खानदान के वारिस हैं- आजादी बाद के भारत के। नेहरू-गांधी खानदान ने पिछले 65 सालों में से सीधे-सीधे 38 साल शासन किया है और उनकी पार्टी ने कुल मिलाकर 51 साल। अब केवल इसी कारण ही राहुल गांधी का हक बनता है कि यदि आगामी चुनावों में या उसके बाद उनकी पार्टी चुनाव जीतती है तो वे प्रधानमंत्री बनें। उनकी सारी परवरिश भी इसी प्रकार हो रही है।

कांग्रेस पार्टी में इस नेहरू-गांधी खानदान की यह स्थिति कांग्रेस पार्टी के खास चरित्र के कारण है। इसकी शुरूआत जवाहरलाल नेहरू ने ही की थी। उन्होंने ही कांग्रेस पार्टी में बाकी नेताओं को कांट-छांटकर उस स्थिति में ढकेला जिसमें वे नेहरू का मुकाबला न कर सकें। बाद में उनकी सुपुत्री इंदिरा गांधी ने इसे आगे बढ़ाया तथा उसके लिए कांग्रेस पार्टी के विभाजन से भी नहीं हिचकिचाई। इसके बाद तो इंदिरा गांधी कांग्रेस पार्टी का पर्याय बन गई। तब से अब तक बाकी कांग्रेसी नेताओं का यह सर्वप्रमुख कार्यभार होता है कि वे इस खानदान के प्रति स्वामिभक्ति प्रदर्शित करें।

शेष पेज 2 पर